न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
345 / 2025	13.06.2025	2026

उनवान

1. श्रीमति कांता देवी पत्नि देवीलाल माली निवासी सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।

—— प्रार्थिया

बनाम

1. श्री सरस्वती देवी पत्नि भगत प्रजापत निवासी कल्कीपुर, भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाड़ा।
2. श्री देवीलाल पिता नगजीराम निवासी सांगानेरी गेट, भीलवाड़ा, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री अरूण पिता सत्यानारायण निवासी बडगांव जिला उदयपुर।तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा। **(विलोपित)**
4. श्री मुकेश कुमार पिता मांगीलाल शर्मा निवासी सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री विकास पिता सत्यनारायण त्रिपाठी निवासी बडगांव जिला उदयपुर। **(विलोपित)**
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

उपस्थितः–

1. **अधिवक्ता प्रार्थिया श्री लादूलाल जाट उपस्थित।**
2. **विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।**
3. **अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।**

–:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक..................

प्रार्थिया की ओर से अधिवक्ता श्री लादूलाल जाट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 3818 / 1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थिया एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थिया अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थिया उक्त वर्णित भूमि की खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 सम्मन बाद तामिल प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 व 04 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 व 04 के बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 व 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.01.2026 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 03 व 05 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थिया अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थिया उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थिया प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि की खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाना उचित है, परंतु प्रार्थिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 व 05 के विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 3818/1 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 व 04 को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। उक्त पत्थरगढ़ी की कार्यवाही प्रार्थिया की खातेदारी आराजी ग्राम सुवाणा की आराजी संख्या 3818/1 की अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 व 04 की खातेदारी भूमि की दिशा तक की जावे। अप्रार्थी संख्या 03 व 05 के विरूद्ध प्रार्थिया द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 03 व 05 की खातेदारी भूमि की दिशा में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो भू–प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थिया से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा